न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 36 सन 2020

अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
2. मालाराम उर्फ ईन्द्राज पुत्र ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
3. कालुराम पुत्र ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
4. रूकमादेवी पुत्री भागी पत्नी ईशरराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
5. शान्ति देवी पुत्री भागी पत्नी ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
6. गुडडी देवी पुत्री भागी पत्नी ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
7. ओमप्रकाश पुत्र सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
8. छगनाराम पुत्र सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
9. लिलावती पुत्री सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
10. सुलातन पुत्र सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
11. चावली पुत्री सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
12. गोमती पत्नी भूपसिह पुत्र सजना जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
13. रविश कुमार पुत्र भूपसिह पुत्र सजना जाति जाट निवासी भावलदेसर नोहर।
14. पूनम पुत्र भूपसिह पुत्र सजना जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
15. मांगीलाल पुत्र स्व. पारी पुत्री सजना जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 150/138 की कुल 3.0360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी भागी पत्नि ईशरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भागी पत्नि ईशरराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भागी पत्नि ईशरराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी भूमि वादी की माता भागी पत्नि ईशरराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो गया है जिसके वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी , प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है एवं भागी पत्नी ईशरराम की एक पुत्री सजना देवी का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 एवं सजना देवी का एक पुत्र भूपसिह एवं पुत्री पारी का देहान्त हो गया है जिसके जायज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 है इसप्रकार भागी पत्नी ईशरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है जो भागी के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 15 वादी की बहने है एवं बहन सजना देवी के वारिसान है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बटवारा कर लिया हे उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसकी माता भागी पत्नी ईशरराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है जो भागी पत्नी ईशरराम की भूमि पाने के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 16 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 150/138 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी भागी पत्नि ईशरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भागी पत्नि ईशरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भागी पत्नि ईशरराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी भूमि वादी की माता भागी पत्नि ईशरराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो गया है जिसके वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी , प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है एवं भागी पत्नी ईशरराम की एक पुत्री सजना देवी का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 एवं सजना देवी का एक पुत्र भूपसिह एवं पुत्री पारी का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 है इसप्रकार भागी पत्नी ईशरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है जो भागी के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 15 वादी की बहने है एवं बहन सजना देवी के वारिसान है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सहमति से बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 150/138 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी भूमि वादी की माता भागी पत्नि ईशरराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो गया है जिसके वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी , प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है एवं भागी पत्नी ईशरराम की एक पुत्री सजना देवी का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 एवं सजना देवी का एक पुत्र भूपसिंह एवं पुत्री पारी का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 है इसप्रकार भागी पत्नी ईशरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है जो भागी के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जो प्रस्तुत मत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 150/138 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि जो भागी पत्नी ईशरराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 5.18 बीधा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 4 11बीधा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.15 बीधा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.15 बीधा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ख्यालीराम पुत्र ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
2. मालाराम उर्फ ईन्द्राज पुत्र ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर नोहर
3. कालुराम पुत्र ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
4. रूकमादेवी पुत्री भागी पत्नी ईशरराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
5. शान्ति देवी पुत्री भागी पत्नी ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर
6. गुडडी देवी पुत्री भागी पत्नी ईशरराम जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर नोहर
7. ओमप्रकाश पुत्र सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
8. छगनाराम पुत्र सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
9. लिलावती पुत्री सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
10. सुलातन पुत्र सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
11. चावली पुत्री सजना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भागी जाति जाट साकिन बलाल हाल भावलदेसर तहसील नोहर
12. गोमती पत्नी भूपसिह पुत्र सजना जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
13. रविश कुमार पुत्र भूपसिह पुत्र सजना जाति जाट निवासी भावलदेसर नोहर।
14. पूनम पुत्र भूपसिह पुत्र सजना जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
15. मांगीलाल पुत्र स्व पारी पुत्री सजना जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 36 सन 2020 निर्णय दिनांक– 23/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 150/138 की कुल 3.0360हैक भूमि जो भागी पत्नी ईशरराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 5.18 बीधा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 4 11बीधा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.15 बीधा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.15 बीधा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/09/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner